एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3361/2007
रामकिशन शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

17.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री ईश्वर तिवारी, अधिवक्ता याची की ओर से।

याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से अयाचीगण द्वारा उसे जारी किये गये नोटिस दिनांक 24.3.2007 को चुनौती दी है। नोटिस के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता, जो कि ग्राम पंचायत जोनायचा कला तहसील बहरोड़ के वार्ड सं.3 से वार्ड पंच निर्वाचित हुए, को उक्त नोटिस संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेशानुसार उनके विरुद्व प्राप्त शिकायत की जांच हेतु दिया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि शिकायत, जिसके आधार पर उसे नोटिस दिया गया, के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता रामनिवास शर्मा विगत चुनाव में याची का प्रतिद्वंदी था तथा वह उससे तीन मतों से हार चुका था, अत: राजनीतिक द्वेषतावश उसने झूंठी शिकायत याची के विरुद्व की थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शिकायत की प्रकृति के बारे में यह बहस की कि दिये गये तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी प्रकार से वार्ड पंच के पद का दुरुपयोग किया तथा ऐसे पद पर रहते हुए कोई अवैध कार्य किया। इस बाबत उन्होनें नोटिस का उत्तर भी उप जिला कलेक्टर (जांच अधिकारी) बहरोड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाना बताया। यघपि शिकायत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची ने स्वयं यह कथन किया है कि वार्ड नम्बर 3 के पंच के चुनाव में वह अयाची से मात्र तीन मतों से पिछड़ गया था परन्तु मात्र नोटिस के विरुद्व इस याचिका में उठाये गये तथ्यों का विवेचन करना उचित नहीं होगा। यदि याची नोटिस के जवाब में इस याचिका में उठाये गये सभी बिन्दुओं की ओर सक्षम अधिकारी का ध्यान

आकर्षित कर दे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे उस पर ध्यान नहीं देंगे। इस मामले में रिट याचिका पोषणीय नहीं मानी जा सकती। याची यदि चाहे तो अपने जवाब के समर्थन में जो तर्क उसने इस याचिका में उठाये हैं वे सक्षम अधिकारी के समक्ष उठा सकता है।

यह याचिका इसी प्रकार निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति